कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा
(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)
विज्ञापन

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–4.6.2007 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर **नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी।**
2. रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है –

पदनाम	कोटि					कुल
	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
ग्राम रोजगार सेवक	10	6	3	1	2	22

3. ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अर्हत्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।
4. **शैक्षणिक योग्यता –**
   - i) <u>अनिवार्य योग्यता</u> : सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई., मैट्रिक के पश्चात् आई.टी.आई. की स्थिति में आई.टी.आई. के प्राप्तांक प्रतिशत को इन्टरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।
   - ii) <u>अतिरिक्त योग्यता</u> :
     - a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी.सी.ए. तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.सी.ए. /पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.आर.डी. अतिरिक्त योग्यता होगी।
     - b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी.जी.डी.सी.ए./पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.आर.डी. को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 अंक घटा दिया जायेगा।
   - iii) अभ्यर्थियों की योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नात्तक तथा स्नात्तकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
   - iv) सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।
5. **आयु सीमा** – ग्राम रोजगार सेवक के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी। आयु सीमा की गणना दिनांक–01.07.2021 के आधार पर की जायेगी।

क्र	कोटि	सामान्य अधिकत्तम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछ़डा वर्ग/अत्यंत पिछ़डा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/ पिछ़डा वर्ग/अत्यंत पिछ़ड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

6. **राष्ट्रीयता–** आवेदक भारत का नागरिक हो।
7. **आरक्षण** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
8. **परिलब्धि** – 7,500/– (सात हजार पाच सौ) रूपये प्रतिमाह।

22.10.21

Scanned with CamScanner

9. ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

10. इस पद पर नियुक्ति पुर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगी।

11. प्रारम्भिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि पूर्ण होने के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्य की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए पुनः संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

12. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गढ़वा जिला के किसी प्रखंड एवं किसी ग्राम पंचायत में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।

13. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह के पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी के सेवा समाप्त कर सकेंगे। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा, नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जा सकेगी।

14. <u>प्रशिक्षण</u> – ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अन्त में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदंड राज्य सरकार या नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से नियुक्त समझा जायेगा एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना की जायेगी। प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15. ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयन योग्यता के आधार पर तैयार प्रारम्भिक मेधा सूची से की जायेगी।

16. **आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा शपथ–पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।**

17. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रारम्भिक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र का सत्यापन इत्यादि नियुक्ति के लिए गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

18. आवेदन पत्र दिनांक **30.10.2021** के अपराह्न **5:00** बजे तक उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा विकास भवन (A) भूतल, समाहरणालय परिसर, गढ़वा के पते पर सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए निबंधित डाक द्वारा अथवा बंद लिफाफा में हाथो–हाथ प्राप्त किया जायेगा।

22.10.2021

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

ज्ञापांक 635 / मनरेगा, दिनांक 22.10.2021

प्रतिलिपि – जिला सूचना–प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन.आई.सी., गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गढ़वा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

22.10.2021

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक 635 / मनरेगा, दिनांक 22.10.2021

प्रतिलिपि – सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर अपलोड कराया जाय।

22.10.2021

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

ज्ञापांक 635 / मनरेगा, दिनांक 22.10.2021

प्रतिलिपि – उपायुक्त, गढ़वा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/10/21

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

ज्ञापांक 635 / मनरेगा, दिनांक 22.10.2021

प्रतिलिपि – मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22.10.2021

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा

Scanned with CamScanner

63

आवेदन पत्र का प्रपत्र (प्रारूप)

हाल का पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नाम ....
2. अभ्यर्थी का नाम ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. स्थायी पता ....

   ....
5. वर्तमान पता ....

   ....
6. मोबाईल/दूरभाष नम्बर ....
7. जन्म तिथि ....(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति)
8. लिंग ....9. दिव्यांग................(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो प्रमाण–पत्र की छाया प्रति)
10. शपथ–पत्र...
11. कोटि .... (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–II) प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
12. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता –

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %
1	इन्टरमिडीएट/आई0टी0आई0					

13. अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता –

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %
1	स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक					
2	बी0सी0ए0					
3	स्नातकोत्तर					
4	पी0जी0डी0सी0ए0					
5	पी0जी0डी0बी0ए0					
6	पी0जी0डी0आर0डी0					
7	अन्य					

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। यदि भविष्य में दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner